उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

संख्याः–269 / 01 / डी0आर0(डिग्री) / सेवा–2 / 2021–22 **दिनांक : 1 दिसम्बर 2023**

अनर्ह सूची

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन–2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 एवं दिव्यांगजन के पदों हेतु शुद्धिपत्र दिनांक 23.12.2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त मा0 आयोग द्वारा **असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र (Sociology) विषय** के निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तालिका के कॉलम–03 के अनुसार अनर्ह कर दिया गया है:–

SNO	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
1	508776	1. अभ्यर्थी द्वारा स्नाकोत्तर उपाधि शोशल वर्क में धारित की गयी है। अतः विज्ञापन के परिशिष्ट–1 में सह–विषय की सूची प्रकाशित की गयी है, जिसमें समाजशास्त्र विषय के लिए शोशल वर्क एक सह–विषय है परन्तु सूची मे यह भी उल्लेख है कि सह–विषय के स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी द्वारा स्नातक उपाधि बी0एस0सी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान) में धारित की गयी है। 2. अतः अभ्यर्थी मुख्य विषय समाजशास्त्र स्नातक स्तर पर धारित न करने के कारण अर्नह है।
2	508791	1. विषय–विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अवार्ड के लिए 03 अंक का दावा किया गया है परन्तु विषय–विशेषज्ञों द्वारा उपरोक्त दावे को सही नहीं माना गया है, जिसके क्रम मे अभ्यर्थी का कुल API स्कोर 44 के स्थान पर 41 अंक है। अनुसूचित जाति श्रेणी में शार्ट लिस्टिंग परिणाम के क्रम में API कटऑफ स्कोर 43 है, जिसके आलोक में अभ्यर्थी कटऑफ स्कोर मे स्थान धारित नहीं करने के कारण अनर्ह है।
3	508825	1. पूर्व सैनिक का लाभ पूर्व में न लिए जाने से संबंधित शपथपत्र अभ्यर्थी से वांछित है तथा Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अभ्यर्थी अनर्ह है।
4	508843	1. Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अभ्यर्थी अनर्ह है।
5	508849	1. अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है अतः अभ्यर्थी अनर्ह है।
6	508883	1. अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है अतः अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु अनर्ह है।

7	508930	1. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 के लिए 25 अंक एवं जे0आर0एफ0 के लिए 10 अंक का दावा किया गया है। उक्त के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों से पी0एच0डी0 वाणिज्य विषय में है, जबकि समाजशास्त्र विषय में होना चाहिए एव जे0आर0एफ0 का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया केवल नेट का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थी समाजशास्त्र विषय में पी0एच0डी0 उपाधि धारित नहीं करने के कारण 25 अंक की कटौति ए0पी0आई0 स्कोर में से करने पर कटऑफ मे स्थान धारित नहीं करता है। अतः अभ्यर्थी वांछित पी0एच0डी0 उपाधि तथा Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह है।
8	508937	1 अभ्यर्थी Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह है।
9	508942	1. विषय–विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड के लिए परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में अवार्ड के 03 अंक के दावे को सही नहीं माना गया हैं। तद्क्रम में अभ्यर्थी का स्कोर 91 के स्थान पर 88 होनें के कारण अनारक्षित वर्ग की कटऑफ 91 मे स्थान धारित नहीं करता है। तद्क्रम में अभ्यर्थी अनर्ह है।
10	509039	1. अभ्यर्थी Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह है।
11	509086	1. अभ्यर्थी Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह है।
12	509099	1. अभ्यर्थी द्वारा ओ0बी0सी0 प्रमाणपत्र दिनांक 09.01.2018 को निर्गत है, जो कि 03 वर्ष से अधिक अवधि का है। तद्क्रम में विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 24.12.2021 तक ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होनें संबंधी प्रमाणपत्र वांछित है। अतः अभ्यर्थी नियमानुसार अद्यतन ओ0बी0सी0 प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह है।
13	509105	1.अभ्यर्थी द्वारा अनु0जाति का दावा किया गया है तथा संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराये गये है अतः अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह है।
14	509182	1. अभ्यर्थी से स्नातक एवं स्नाकतोत्तर उपाधि वांछित है अतः अभ्यर्थी द्वारा स्नातक एवं स्नाकतोत्तर उपाधि उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह है।
15	509209	1. अभ्यर्थी द्वारा पी0एच0डी0 हेतु दिनांक 13.10.2020 को निर्गत प्रोविजनल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अभ्यर्थी से उक्त की मूल उपाधि वांछित है तथा अभ्यर्थी द्वारा Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह है।

16	509268	1. अभ्यर्थी द्वारा नेट का दावा करते हुए 08 अंक ए0पी0आई0 में दर्ज किये गये है जबकि अभ्यर्थी द्वारा यूसैट के अंकपत्र उपलब्ध कराये गये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी की कटऑफ में 03 अंकों की कटौती के उपरान्त कुल प्राप्त ए0पी0आई0 38 अंकों के स्थान पर 35 प्राप्त होगें। ओ0बी0सी0 की कटऑफ 38 है तथा OBC/DFF का कोई पद नहीं होनें के कारण अभ्यर्थी ओ0बी0सी0 की कटऑफ में स्थान धारित न करने एवं दावित नेट प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने के कारण अभ्यर्थी अनर्ह है।
17	509343	1. विषय–विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, अवार्ड के लिए परीक्षण किया गया, जिसके क्रम में अवार्ड के 02 अंक के दावे को सही नहीं माना गया है। तद्क्रम मे अभ्यर्थी का कुल ए0पी0आई0 स्कोर 91 के स्थान पर 89 होने के कारण अनारक्षित श्रेणी की कटऑफ 91 में स्थान धारित नहीं करने के कारण अनर्ह है।
18	509445	1. अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि वर्तमान में अभ्यर्थी भारतीय वायु सेना में सेवारत है तथा 01.07.2022 के पश्चात् भूतपूर्व सैनिक के रूप मे एन0ओ0सी0 प्रस्तुत करेगा। उक्त के क्रम में अभ्यर्थी विज्ञापन दिनांक 24.12.2021 के क्रम में पूर्व सैनिक नहीं है। तद्क्रम में अभ्यर्थी को अनारक्षित/भूतपूर्व सैनिक की ए0पी0आई0 कटऑफ 50 अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया हैं। अतः समाजशास्त्र विषय में अनारक्षित श्रेणी की कटऑफ 91 में स्थान धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।
19	509452	1. उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप में ओ0बी0सी0 प्रमाणपत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र वांछित है अतः अभ्यर्थी ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र एवं विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराये जाने के कारण अनर्ह है।
20	509486	1 अभ्यर्थी से स्नातकोत्तर उपाधि एवं नेट प्रमाणपत्र वांछित है अतः अभ्यर्थी स्नातकोत्तर उपाधि एवं नेट प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह है।
21	509513	1. अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र वांछित है। अतः वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह है।
22	509529	1. अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह है।
23	509533	1. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 31.12.2021 को निर्गत ओ0बी0सी0 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभ्यर्थी से विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 24.12.2021 को ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी प्रमाणपत्र वांछित है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी प्रमाणपत्र एवं Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अनर्ह है।
24	509559	1. अभ्यर्थी से विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 24.12.2021 को ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी प्रमाणपत्र वांछित है। उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप पर विज्ञापन की अंतिम तिथि को वैद्य ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभ्यर्थी अनर्ह है।

25	509586	1. अभ्यर्थी से स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं पी0एच0डी0 दिनांक 24.12.2021 तक धारित करने के संबंध में प्रमाणपत्र वांछित है। अतः स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि एवं पी0एच0डी0 दिनांक 24.12.2021 तक धारित करने के संबंध में प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अभ्यर्थी अनर्ह है।
26	509620	1. अभ्यर्थिनी द्वारा ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र के संबंध में दिनांक 17 अप्रैल, 2018 तथा दिनांक 19 फरवरी, 2022 को जारी ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र संलग्न किया है, जो विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 24.12.2021 तक वैद्य नहीं है। अभ्यर्थी से विज्ञापन की अंतिम तिथि दिनांक 24.12.2021 तक वैद्य ओ0बी0सी0 श्रेणी से आच्छादित होने संबंधी प्रमाणपत्र वांछित है। विज्ञापन की अंतिम तिथि तक वैद्य ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अनर्ह है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अनर्ह सूची के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते है तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404 के **कार्यालय को दिनांक 18.12.2023 (सोमवार) सांय 06:00 बजे** तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन/प्रमाण–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।